दिनांक 14.05.2025

प्रेस नोट

दिनांक 12.05.2025 को ग्राम रायकुंडा, थाना मानपुर, जिला इंदौर (ग्रामीण) मे आयोजित एक कार्यक्रम मे श्री विजय शाह, मंत्री म.प्र. शासन द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया था। उनके संबोधन के कुछ अंश प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक तथा सोशल मीडिया मे वायरल हुये। मीडिया मे प्रकाशित उक्त संबोधन का माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा स्वमेव संज्ञान लेते हुए WP No.17913/2025 दिनांक 14.05.2025 को आदेश पारित किया। आदेश के परिपालन मे थाना मानपुर मे श्री विजय शाह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/2025 धारा 152,196(1)(ख),197(1)(ग) बीएनएस के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है।